न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
फूलवती बनाम मुरारी मु.नं.– 07/24 किस्म – धारा 131, 132	
को पेश हो /	
10.3.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा. पत्र धारा 131, 132 LR Act पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। प्रा. पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
07 / 2024	08.02.2024	10.03.2026

बउनवान

1. फूलबती पत्नी बाबूलाल, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
2. बाबूलाल पुत्र कंचन लाल, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. मुरारी पुत्र भौरीलाल, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
2. जगदीश पुत्र भौरीलाल, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
3. सुशीला पत्नी ठण्डी, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
4. श्रीराम पुत्र हरसहाय, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
5. धन्नी देवी पत्नी हरसहाय, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
6. मोतीलाल पुत्र हरसहाय, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
7. गील्या पुत्र मोहरपाल, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
8. झबरूलाल पुत्र मोहरपाल, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
9. रत्तीराम पुत्र मोहरपाल, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
10. साहिल पुत्र राधेश्याम, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।
11. रेशम पत्नी राधेश्याम, निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित–

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 01 व 02 – श्री भंवरसिंह।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा सं. 652/2 रकबा 0.04 हैक्टे. ग्राम गढहिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 लगायत 09 एवं अप्रार्थी सं. 10 व 11 के पिता एवं पति राधेश्याम पुत्र मोहरपाल की तथा प्रार्थी के पति बाबूलाल एवं अप्रार्थी सं. 01 व 02 की माताजी मु. भग्गो देवी पत्नी भौरीलाल की सहखातेदारी की आराजी है जिसमें खातेदार राधेश्याम की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी सं. 10 व 11 को पक्षकार बनाया है तथा मृतक मु. भग्गो की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान प्रार्थी सं. 02 एवं अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 को पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

बनाया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के अलावा खसरा सं. 663, 652, 653, 655, 658, 662 भी खातेदारी की आराजी थी जिसका विभाजन करवाये जाने हेतु प्रार्थी ने न्यायालय उप जिला कलेक्टर महवा में एक दावा उनवानी फूलवती बनाम जगदीश वगैरा मु. सं. 319/2016 तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसका विभाजन करने हेतु प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया तथा तहसीलदार महवा से बंटवारा स्कीम तलब की जिस पर तहसीलदार महवा ने बंटवारा स्कीम दिनांक 10.07.2017 को तैयार करते समय सभी सहखातेदारों को उनके कब्जे को ध्यान में रखते हुये मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें खसरा सं. 652/2 को सभी सहखातेदारों को आने जाने हेतु रास्ता का नम्बर कायम करते हुये नक्शा ट्रेस में रास्ता के रूप में दर्शाया गया तथा उक्तानुसार उक्त दावा को अंतिम डिक्री दिनांक 14.07.2017 को कर दिया तथा खाता विभाजन होने के बाद से आज तक खसरा सं. 652/2 की भूमि आज तक सभी सहखातेदारों के शामिल खातेदारी में रखते हुये रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में आ रही है तथा वर्तमान में रास्ते के रूप में काम आ रही है। उक्त रास्ता की भूमि का नम्बर 652/2 रास्ते से ही शुरू होता है तथा शुरू में ही अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जे की भूमि है अर्थात खसरा सं. 652/1 एवं 653 की भूमि है जो कि आये दिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने के उदेश्य से उसकी डौल मेड को काटते रहते हैं तथा उस 0.04 हैक्टे. की भूमि को मात्र 5 फुट का रास्ता छोड कर दबाते रहते है। इस कारण उक्त भूमि को नक्शा ट्रेस में अंकित भूमि के अनुसार उसकी चौडाई को देखते हुये उक्तानुसार मौके पर रास्ता कायम करवाया जाना तथा उक्त भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता घोषित किया जाकर सभी सहखातेदारों के खाते में से उक्त भूमि को हटाया जाना आवश्यक है तथा उक्त भूमि को राजकीय भूमि रास्ता की भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है। जिससे कि राजकीय स्कीम के तहत उक्त रास्ता में ग्रेवल सडक अथवा ईट आदि से उक्त सडक का निर्माण हो सके। दिनांक 26.01.2024 को प्रार्थी अपनी आराजी पर थी कि अचानक अप्रार्थी सं. 1 व 2 आये और कहने लगे कि हम उक्त खसरा सं. 652/2 में बने रास्ते को ही बन्द करेगें क्योंकि उक्त भूमि हमारी भी खातेदारी की भूमि है तथा उक्त रास्ते में होकर किसी भी व्यक्ति को निकलने नहीं देगे। जिस पर प्रार्थी सं. 1 द्वारा उनसे ऐसा नहीं करने को निवेदन किया लेकिन वो लोग किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुये जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी सं. 2 बाबूलाल मृतक मु.भग्गो देवी के वारिस होने के कारण तथा अप्रार्थी सं. 10 व 11 मृतक राधेश्याम के वारिस होने के कारण उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जो कि प्रार्थना पत्र हाजा में आवश्यक पक्षकार मुकदमा थे। अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। अतः निवेदन है कि उक्त आराजी खसरा सं. 652/2 रकबा 0.04 हैक्टे. की किस्म गै. मु.रास्ता घोषित किया जाकर उक्त खसरा सं. के खातेदारी के खाने में से खातेदारों (सभी को) के नाम को हजफ फरमाया जाकर इसे गै. मु. रास्ता की राजकीय भूमि घोषित करे जिससे कि सभी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता से अपनी अपनी आराजी को आने जाने हेतु रास्ता की कमी की पूर्ति हो सके तथा किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आवे तथा इस रास्ते के बाबत प्राप्त होने वाले राजकीय लाभ भी प्राप्त हो सके।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 03 लगायत 11 ने न्यायालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि मु. भग्गो के वारिस अप्रार्थी सं. 01 व 02 ही है अप्रार्थी सं. 02 बाबूलाल, मु. भग्गो देवी का वारिस नहीं है। मुकदमा सं. 319/16 फूलवती बनाम जगदीश वगै. के बारे में प्रार्थी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है तथा दिनांक 14.07.2017 को उनवानी दावा फूलवती बनाम जगदीश वगै. फाईनल डिक्री हुआ। प्रार्थीगण को कतई जानकारी नहीं है तथा आज तक रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के मध्य बॅटवारा नहीं हुआ है। आपसी सहमति से यह मौका सहखातेदारान ने बंटवारा कर रखा है। जमीन खसरा सं. 652/2 गै.मु. कुआ की भूमि है इस कारण सभी सहखातेदारान की भूमि है। जब मौके पर रास्ता है ही नही तो रास्ता की भूमि को अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा तोडना कतई हास्यप्रद लगता है। दिनांक 26.01.2024 को या कभी भी अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गयी। खसरा सं. 652/2 रिकॉर्ड में सभी की खातेदारी भूमि है तथा कुआ से सम्बन्धित भूमि है, मौका पर हिस्सेनुसार काबिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि धारा 131 LR ACT MAINTENANCE OF MAP AND FIELD BOOK AND SEC 32 LR ACT ANNUAL REG से सम्बन्धित है। इसमें राज्य सरकार को निर्देशानुसार या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्देश पर ही LR कार्यवाही कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उक्त आराजी खसरा सं. 652/2 के सम्बन्ध में तहसीलदार मण्डावर की मौका वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2024 के अनुसार ग्राम गढहिम्मतसिंह के खसरा सं. 652/2 की खातेदारी गिल्या पुत्र मोहरपाल हि. 1/15, जगदीश पुत्र भौरीलाल हि. 13/75, झबरूलाल पुत्र मोहरपाल हि. 1/5, धन्नीदेवी पत्नि हरसहाय हि. 4/225, मुरारी पुत्र भौरीलाल हि. 13/75, मोतीलाल पुत्र हरसहाय हि. 4/225, रत्तीराम पुत्र मोहपाल हि. 1/15, राधेश्याम पुत्र मोहरपाल हि. 1/15, फूलवती पत्नी बाबूलाल हि. 1/10, सुशीला पत्नी ठण्डीराम हि. 1/10, श्रीराम पुत्र हरसहाय हि. 4/225 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा सं. 652/2 मौके पर खाली है एवं कच्चा रास्ता बना हुआ है जो कि सहखातेदारों द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी, तहसीलदार रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी महवा के द्वारा दावा उनवान फूलवती बनाम जगदीश में जारी अंतिम पर्चा डिक्री के साथ संलग्न बंटवारा स्कीम में उल्लिखित है कि खाता सं. 04 के खसरा सं. 652/2 रकबा 0.04 हैक्टे. में खातेदारों को खेतों में जाने हेतु रास्ता है। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट में भी उल्लिखित है कि खसरा सं. 652/2 मौके पर खाली है एवं कच्चा रास्ता बना हुआ है जो कि सहखातेदारों द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त आराजी खसरा सं. 652/2 वाके ग्राम गढहिम्मतसिंह, पटवार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हल्का गढहिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर जिला दौसा को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम गढहिम्मतसिंह, पटवार हल्का गढहिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 652/2 किस्म जाव A रकबा 0.04 हैक्टे. को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 10.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)